न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 28 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 90

प्रार्थी

पदमाराम पुत्र रायचन्द, जाति—रावणा राजपुत, निवासी—डबाल, तहसील—सांचौर, जिला—जालोर

अप्रार्थीगण

रायचन्द पुत्र देवाजी वगैरह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर सत्यमेव जयते जिला जालोर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 26.05.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 01.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की पैतृक संपति के खेत वांके सरहद मौजा डबाल, तहसील—सांचौर में पुराना खेत खसरा संख्या 663 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा व पुराना खेत खसरा संख्या 48 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 2.45 हैक्टेयर तथा खसरा संख्यसा 70 रकबा 0.76 हैक्टेयर के आये हुए है उक्त आराजी पूर्व में मुझ प्रार्थी स्व. दादा देवा वल्द भीमा के नाम से थी तथा हमारे स्व. दादा देवा की फौतेदगी के पश्चात घर में कर्ता धर्ता अप्रार्थी संख्या 1 मुझ प्रार्थी के पिता रायचन्द होने से तथा उक्त आराजी मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 7 का बाय बर्थ हक व हिस्सा होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरंपच व राजस्व एजेन्सी से मिलकर उक्त आराजी अकेले के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी जबकि उक्त आराजी में मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 का पुश्तैनी होने से हमारा हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम के तहत बाय बर्थ हक व हिस्सा निहित होते हुए मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 7 को हमें हमारे हक से वंचित कर दिया। वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की पैतृक संपति होने से तथा उक्त आराजी में 1/8 हिस्से की भूमि पर मुझ प्रार्थी का कदीमी काश्त व कब्जा होने से तथा उक्त आराजी में मुझ प्रार्थी की रहवासी ढ़ाणी होने से हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम के तहत बाय बर्थ 1/8 हिस्सा की खातेदारी पाने का कानूनन अधिकार होने से मैं वादी उपरोक्त आराजी में 1/8 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकारी हूं। अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूलवाद के ताफैसला तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि मौजा डबाल के खेत खसरा

सहायक कलक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

संख्या 1033 रकबा 2.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 0.76 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.21 हैक्टेयर भूमि को किसी अन्य व्यक्तियान को किसी भी कदर हस्तांतरित न करें तथा न ही उपरोक्त आराजी के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तांतरित दस्तावेज पंजीयन नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डबाल, तहसील–सांचौर के खेत खसरा नंबर 1033 रकबा 2.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 0.76 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.21 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर